

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत

अतिरिक्त जिला कलक्टर

मुकाम

जोधपुर (ग्रामीण)

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत भाटेलाई
पुरोहितान, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

लालसिंह पुत्र भगवानसिंह, जाति
राजपुरोहित, निवासी गांव भाटेलाई
पुरोहितान, तहसील बालेसर, जिला
जोधपुर।

किस्म मुकदमा




पंचायत निगरानी

नं.

153

सन्

2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व इस हुकम तारीख अहकाम की तारीख में जारी हुए
03.10.2023	<p>राजस्व (ग्रुप-1) विभाग जयपुर की अधिसूचना दिनांक 05 अगस्त 2023 की अनुपालना में जिला जोधपुर (ग्रामीण) का नवगठन होने तथा न्यायालय जिला कलक्टर, जोधपुर (ग्रामीण) के आदेश क्रमांक/डी.एम./रीडर/2023/01 दिनांक 05.09.2023 की अनुपालना में प्रकरण का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को होने से प्रकरण सुनवाई हेतु प्राप्त हुआ। अतः प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली आईन्दा दिनांक 13.12.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर(ग्रामीण)</p>	
13/12/23	<p>पत्रावली आज पेश हुई। श्रीमान P.O. महो. आज 22/12/23 होने से पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 8-1-24 को पेश हों। B.O. </p>	
8/1/24	<p>पत्रावली आज पेश हुई। श्रीमान P.O. महो. आज 8/1/24 होने से पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 16-1-24 को पेश हों। B.O. </p>	
16/1/24	<p>पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी मय अधिवक्ता अनुपस्थित। न्यायालय समय में आवाजें दिलवाई गईं। लेकिन प्रार्थी व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। अतः पत्रावली अहम हाजरी व अहम पैरवी में खारिज की जाती है। अधिवक्ता न्यायालय का मूल रिकार्ड आदेश की प्रति के साथ भिजवाया जैसे पत्रावली फैसल कुमार होकर काखिल दफ्तर है।</p> <p style="text-align: right;">अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण)</p>	